



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3335]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2017/अग्रहायण 13, 1939

No. 3335]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2017/AGRAHAYANA 13, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 3804(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से उक्त उप-नियम के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के मामलों के शीघ्र विचारण का उपाबंध करने के प्रयोजनों के लिए नीचे सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित न्यायालय के रूप में अभिहित करती है, अर्थात्—

सारणी

न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)
LIX अपर नगर सिविल और सेशन न्यायाधीश, बंगलुरु शहर	कर्नाटक राज्य

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-1 (खंड-IV)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2017

**S.O. 3804(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Karnataka, hereby designates the following Court mentioned in column (1) of the Table below as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said sub-section, namely:—

**TABLE**

Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)
LIX Additional City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City	State of Karnataka

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol. IV)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.